उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्याः– 545 / सेक–2–पांच–18–5(114) / 2015
लखनऊः दिनांक : 13 मार्च, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

डा0 रोशन सिंह पटेल (वरिष्ठता कमांक–11973), तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगरा, बलिया द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया के कार्यालय में विभिन्न कर्मचारियों के देय एरियर्स का कोषागार, बलिया से आहरित कर संबंधित कर्मचारियों को वितरित न करने तथा कतिपय कर्मचारियों के एरियर एक से अधिक बार आहरित कर उसको संबंधित कर्मचारी को वितरित न करते हुए धनराशि रू0 25,37,583 / – का गबन करने तथा उक्त आहरित की गयी धनराशि का अंकन 11–सी रजिस्टर में न करने आदि आरोपों में शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1795 / सेक–2–पांच–15–5(114) / 2015, दिनांक 25.06.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को जांच अधिकारी नामित किया गया। डा0 रोशन सिंह पटेल द्वारा कारित शासकीय क्षति, गम्भीर कदाचार आदि हेतु कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1792 / सेक–2–पांच–15–5(114) / 2015, दिनांक 25.06.2015 द्वारा निलम्बित कर कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद से सम्बद्ध किया गया है।

2– डा0 रोशन सिंह पटेल, तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगरा, बलिया सम्प्रति निलम्बित का कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1792 / सेक–2–पांच–15–5(114) / 2015, दिनांक 25.06.2015 द्वारा किया गया निलम्बन समाप्त कर सेवा में बहाल करते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय, रायबरेली में परामर्शदाता के पद पर तैनात किये जाने हेतु श्री राज्यपाल एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

3– डा0 रोशन सिंह पटेल के विरूद्ध शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1795 / सेक–2–पांच–15–5(114) / 2015, दिनांक 25.06.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान रहेगी।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

वी0हेकाली झिमोमी
सचिव।

पृ0सं0– 545 (1) / सेक–2–पॉच–18, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3– निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4– जिलाधिकारी, बलिया।
5– अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ / फैजाबाद मण्डल।
6– जांच अधिकारी / अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
7– मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया / फैजाबाद।
8– मुख्य चिकित्स अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रायबरेली।
9– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया / रायबरेली।

10– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

11– प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित चिकित्साधिकारी का पी–2 संशोधित करने का कष्ट करें।

12– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।